शहरी आग-सुरक्षा: अलीगंज (लखनऊ) और मालवीय नगर (दिल्ली) की सीख

आपदा प्रबंधन/शहरी सुरक्षा | समाचार संदर्भ: 3 जून-30 जून 2026 | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026

लखनऊ के अलीगंज में 22 जून 2026 को एक बहुमंज़िला व्यावसायिक इमारत में लगी आग में 15 लोगों (अधिकांश छात्र) की मौत हुई; SIT ने 30 जून को बताया कि फ़ायर एग्ज़िट की जगह लिफ़्ट बनी थी, 20 किलोवाट के स्वीकृत कनेक्शन पर 35 किलोवाट से अधिक खपत थी, और विद्युत-सुरक्षा NOC का नवीनीकरण नहीं हुआ था (India Today, 30 जून 2026) [प्रेस]। इसी महीने 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में एक बेड-एंड-ब्रेकफ़ास्ट इमारत की आग में कम से कम 21 लोग मारे गए (BBC, 3 जून 2026) [प्रेस]।

शहरी आग: समस्या की प्रकृति

भारत में आग की घटनाएँ आम हैं और भवन-सुरक्षा कानूनों का पालन अक्सर कमज़ोर रहता है (BBC) [प्रेस]। अलीगंज और मालवीय नगर दोनों घटनाओं में एक ही पैटर्न दिखता है — निकास-मार्ग की कमी या अवरोध, विद्युत-व्यवस्था की अनियमितता, और अनुमति/निरीक्षण की कमियाँ; दोनों बहुमंज़िला व्यावसायिक उपयोग की इमारतें थीं [प्रेस]।

अलीगंज (लखनऊ), 22 जून: FIR के तथ्य

तीन-मंज़िला इमारत (सेक्टर D) में निचली मंज़िलों पर पेट शॉप व क्लीनिक, दूसरी पर गेमिंग ज़ोन व 3D एनिमेशन सेंटर, तीसरी पर IT ऑफ़िस था; आग दोपहर लगभग 2:30 बजे पेट शॉप/क्लीनिक में लगी [प्रेस — The Hindu, 23 जून]। FIR के अनुसार परिसर अपर्याप्त फ़ायर-सेफ़्टी, आपातकालीन निकास और धुआँ निकालने की व्यवस्था के बिना व्यावसायिक रूप से चल रहा था; “प्रवेश-निकास का केवल एक मुख्य मार्ग” था, विद्युत-व्यवस्था “अत्यंत अनियमित”; बचाव-दलों को दीवारें काटकर प्रवेश करना पड़ा [प्रेस]। 15 मृतक अधिकांश छात्र — दम घुटने व जलने से मौत; 9 घायल KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती [प्रेस]। FIR धारा 105 (नरसंहार की श्रेणी में न आता हत्या-अपराध), 110, 125 और UP फ़ायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ अधिनियम के प्रावधानों में; चार आरोपी (पेट शॉप संचालक, भवन-स्वामी, एनिमेशन सेंटर संचालक सहित) गिरफ़्तार [प्रेस]।

SIT के निष्कर्ष (30 जून)

फ़ायर एग्ज़िट के लिए निर्धारित स्थान पर लोहे की आपातकालीन सीढ़ियाँ होनी चाहिए थीं, वहाँ लिफ़्ट बनी थी; एक और लिफ़्ट लगाने की तैयारी मानकों के विरुद्ध बताई गई [प्रेस — India Today]। SIT का निष्कर्ष: उचित फ़ायर एग्ज़िट होते तो जान-माल की हानि काफ़ी कम हो सकती थी [प्रेस]। स्वीकृत विद्युत-कनेक्शन 20 किलोवाट, वास्तविक खपत 35 किलोवाट से अधिक; 2000 में लिया गया विद्युत-सुरक्षा NOC दो वर्ष बाद नवीनीकृत नहीं [प्रेस]। LDA जाँच: स्वीकृत सीमा से अधिक एक मंज़िल का निर्माण समेत कई संरचनात्मक उल्लंघन, लगभग ₹92 लाख जुर्माना; अनुमति-निरीक्षण से जुड़े 18 इंजीनियरों की सूची SIT को सौंपी (12 सेवानिवृत्त) [प्रेस]। घटना के बाद UP सरकार ने राज्य-भर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फ़ायर-सेफ़्टी अनुपालन की व्यापक समीक्षा शुरू की [प्रेस]।

मालवीय नगर (दिल्ली), 3 जून

एक निजी अस्पताल के मरीज़ों व उनके परिजनों को ठहराने वाली B&B इमारत में आग; कम से कम 21 मृतक — कई विदेशी नागरिक (दक्षिण एशिया, अफ़्रीका, मध्य एशिया से इलाज के साथी), 40 से अधिक बचाए गए; कई लोग ऊपरी मंज़िलों से कूदे [प्रेस — BBC]। दिल्ली सरकार B&B के संचालन-अनुमतियों की जाँच कर रही है; PM ने मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख व घायलों को ₹50,000 अनुग्रह घोषित किया [प्रेस]।

परीक्षा की दृष्टि से

- **GS-3 (आपदा प्रबंधन/शहरीकरण):** शहरी आग-जोखिम — निकास-मार्ग, विद्युत-भार, NOC-नवीनीकरण; SIT/FIR की भूमिका; बहु-उपयोग व्यावसायिक इमारतों की निगरानी [प्रेस]।
- **GS-2 (शासन):** स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण की अनुमति-निरीक्षण जवाबदेही (LDA जाँच, 18 इंजीनियर) [प्रेस]।
- **करेंट अफेयर्स:** अलीगंज (22 जून, 15 मृतक, SIT रिपोर्ट 30 जून); मालवीय नगर (3 जून, 21+ मृतक) [प्रेस]।

यह भी पढ़ें: यूरोप की रिकॉर्ड लू: रिकॉर्ड, अलर्ट और UN की स्वास्थ्य चेतावनियाँ

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"शहरी आग-सुरक्षा की बार-बार की विफलताएँ किन संरचनात्मक कारणों से जुड़ी हैं? नियम-प्रवर्तन, भवन-मानदंड और आपदा-तैयारी के उपाय सुझाइए।" (सामान्य अध्ययन-III; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: जून 2026 की दो घटनाओं से शुरू करें - 22 जून को लखनऊ के अलीगंज की इमारत में आग (15 मृतक, अधिकांश छात्र) और 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर की B&B इमारत में आग (कम से कम 21 मृतक) - और कहें कि दोनों में एक जैसा पैटर्न दिखता है।

मुख्य भाग में: संरचनात्मक कारण लिखें - निकास-मार्ग की कमी या अवरोध (अलीगंज में FIR के अनुसार प्रवेश-निकास का केवल एक मुख्य मार्ग; SIT के अनुसार फ़ायर एग्ज़िट की जगह लिफ़्ट), विद्युत-अनियमितता (20 किलोवाट स्वीकृत बनाम 35 किलोवाट से अधिक खपत, विद्युत-सुरक्षा NOC का नवीनीकरण नहीं), और अनुमति/निरीक्षण की कमियाँ (LDA जाँच में अतिरिक्त मंज़िल समेत उल्लंघन, 18 इंजीनियरों की सूची सौंपी गई)। इन्हें FIR, SIT और प्रेस-रिपोर्ट के निष्कर्ष के रूप में लिखें, सिद्ध दोष के रूप में नहीं; मालवीय नगर में दिल्ली सरकार की संचालन-अनुमतियों की जाँच जारी बताएँ। उपाय सुझाएँ: नियम-प्रवर्तन (अनुमति-निरीक्षण में जवाबदेही, NOC-नवीनीकरण की निगरानी), भवन-मानदंड (निकास-मार्ग, विद्युत-भार) और आपदा-तैयारी; UP सरकार की राज्य-भर फ़ायर-सेफ़्टी समीक्षा का उल्लेख करें। लेख में आग-सुरक्षा के राष्ट्रीय आँकड़े नहीं हैं, उन्हें न गढ़ें।

निष्कर्ष में: लिखें कि बार-बार की विफलता का मूल निकास, विद्युत-सुरक्षा और निरीक्षण में चूक है; समाधान अनुपालन की नियमित जाँच और जवाबदेही में है, केवल घटना के बाद की कार्रवाई में नहीं।

स्रोत

- [प्रेस] India Today (Ashish Srivastava), "Fire exit replaced by lift, electrical lapses trapped 15 students in Aliganj blaze: SIT", 30 जून 2026 — indiatoday.in
- [प्रेस] The Hindu (PTI), "Lucknow building fire: FIR cites illegal commercial use, single entry/exit in building that claimed 15 lives", 23 जून 2026 — thehindu.com
- [प्रेस] BBC (Nikita Yadav, Dilnawaz Pasha), "Malviya Nagar: At least 21 people killed in Delhi restaurant fire", 3 जून 2026 — bbc.com

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: भारत में आग की घटनाएँ आम हैं और भवन-सुरक्षा कानूनों का पालन अक्सर कमज़ोर रहता है (BBC)।

प्रश्न: शहरी आग की घटनाओं में भवन-सुरक्षा की कौन-सी समस्या सामने आई?

भारत में आग की घटनाएँ आम हैं और भवन-सुरक्षा कानूनों का पालन अक्सर कमज़ोर रहता है (BBC)। अलीगंज और मालवीय नगर दोनों घटनाओं में एक ही पैटर्न दिखता है - निकास-मार्ग की कमी या अवरोध, विद्युत-व्यवस्था की अनियमितता, और अनुमति/निरीक्षण की कमियाँ; दोनों बहुमंज़िला व्यावसायिक उपयोग की इमारतें थीं।

प्रश्न: अलीगंज की आग के बारे में FIR के अनुसार क्या तथ्य थे?

तीन-मंज़िला इमारत (सेक्टर D) में निचली मंज़िलों पर पेट शॉप व क्लीनिक, दूसरी पर गेमिंग ज़ोन व 3D एनिमेशन सेंटर, तीसरी पर IT ऑफ़िस था; आग दोपहर लगभग 2:30 बजे पेट शॉप/क्लीनिक में लगी। FIR के अनुसार परिसर अपर्याप्त फ़ायर-सेफ़्टी, आपातकालीन निकास और धुआँ निकालने की व्यवस्था के बिना व्यावसायिक रूप से चल रहा था; "प्रवेश-निकास का केवल एक मुख्य मार्ग" था, विद्युत-व्यवस्था "अत्यंत अनियमित"; बचाव-दलों को दीवारें काटकर प्रवेश करना पड़ा।

प्रश्न: अलीगंज आग के बाद SIT ने निकास-व्यवस्था में क्या कमियाँ बताईं?

फ़ायर एग्ज़िट के लिए निर्धारित स्थान पर लोहे की आपातकालीन सीढ़ियाँ होनी चाहिए थीं, वहाँ लिफ़्ट बनी थी; एक और लिफ़्ट लगाने की तैयारी मानकों के विरुद्ध बताई गई। SIT का निष्कर्ष: उचित फ़ायर एग्ज़िट होते तो जान-माल की हानि काफ़ी कम हो सकती थी।